न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार, आर0 जे0 एस0

निर्णय दिनांक – 30 मार्च, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 461 / 2019

सीआईएस नंबर – 461 / 2019

सी एन आर नंबर – RJJH070007712019

राजस्थान राज्य बनाम संदीप कुमार

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –67 / 2019, पुलिस थाना खेतड़ीनगर अपराध अन्तर्गत धारा–498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

I

परिवादिया	नीलम जांगिड पत्नी संदीप कुमार पुत्री मानिकलाल उम्र 30 वर्ष निवासी हाल आबादी नीलम जरनल स्टोर बैंक कॉलोनी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	संदीप कुमार पुत्र भीखाराम उम्र 32 साल निवासी भैसावता खुर्द थाना सिंघाना जिला झुंझुनू राज.
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सुभाष दाधिच
अधिवक्ता परिवादिया	श्री राधाकृष्ण शर्मा

क

अपराध की दिनांक	07.05.2014 से 24.04.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	24.04.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	10.07.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	27.09.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	05.12.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	30.03.2026
निर्णय दिनांक	30.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	–

ब

अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	संदीप कुमार	–	–	498ए भा.द.सं. 406 भा.	दोषमुक्त		

				द.सं.			

भाग द्वितीय
अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	नीलम जांगिड	परिवादिया
पी0डब्ल्यू 02	संतोष उर्फ संतरा देवी	परिवादिया की माता
पी0डब्ल्यू 03	माणिक्य लाल	परिवादिया का पिता
पी0डब्ल्यू 04	विद्याधर	स्वतंत्र साक्षी
पी0डब्ल्यू 05	सजन कुमार	स्वतंत्र साक्षी
पी0डब्ल्यू 06	शीशराम	परिवादिया के पिता का पड़ोसी व प्रत्य क्षदर्शी गवाह
पी0डब्ल्यू 07	किरण सिंह	पुलिस गवाह व अनुसंधान कर्ता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय

		गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी–01	इस्तगासा
02	प्रदर्श पी–02	मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र
03	प्रदर्श पी–03	फर्द जब्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन
04	प्रदर्श पी–04	स्त्रीधन नहीं मिलने बाबत पुलिस को सूची
05	प्रदर्श पी–05	पुलिस बयान विद्याधर
06	प्रदर्श पी–06	पुलिस बयान सजन कुमार
08	प्रदर्श पी–08	इस्तगासा के आधार पर चाक

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	——	

–:: <u>निर्णय</u> ::– दिनांक 30 मार्च, 2026

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी नीलम जांगिड ने एक परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष आरोपीगण संदीप कुमार, भीखाराम, सम्पति देवी, कंचन, पिंकी, प्रियंका, विजेंद्र के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदिका का विवाह अभियुक्त संख्या 1 के साथ दिनांक 07.05.2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार जाट धर्मशाला ग्राम गोठड़ा खेतडीनगर में सम्पन्न हुआ था। इस विवाह में परिवादिया के माता पिता ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा दहेज का सामान व स्त्रीधन दिया था। परिवादिया विवाह के पश्चात अपने ससुराल गई तो अभियुक्तगण ने उसका नव विवाहिता के रूप में सम्मान नहीं किया बल्कि घर आये मेहमानो के सामने ही कम दहेज लाने की बात कहकर अपमानित करने लगे व उसके साथ कड़वा व्यवहार करते हुए भूखे कंगले घर की कहकर बेईज्जत किया व कहने लगे कि तुम्हारे मां बाप ने जो सामान दिया है वह भी घटिया किस्म का दिया है आजकल तो लोग विवाह में कार व लाखों रूपये देते हैं तुम्हारे पिता ने ना तो कार दी व ना ही दो लाख रूपये कचोला में दिया। परिवादिया एक दिन ससुराल रहने के बाद वापस अपने पीहर आई तथा आप बीती सारी बाते अपने माता पिता को बताई तब उसके माता – पिता ने कहा कि बेटी हम लोग उनको समझा देगे एवं दूसरे दिन परिवादिया को पुनः ससुराल भेज दिया। परिवादिया के पुनः ससुराल जाने पर अभियुक्तगण ने परिवादिया को फिर ताने देने शुरू कर दिये व परिवादिया से दो लाख रूपयों व कार की मांग करने लगे व भूखी प्यासी रखने लगे। अभियुक्तगण परिवादिया

व उसके माता पिता को बुरी–बुरी गालियां निकालते व मारपीट करने लगे। अभियुक्त सं. 1 शराब पीकर आता व मारपीट करता। परिवादिया दूसरी बार अपने ससुराल गई तभी अभियुक्तगण ने उसके समस्त जेवरात छीन लिये व अपने पास रख लिये। दिनांक 28.12.2017 को परिवादिया नहान घर में नहाने गई तो उसकी सास, ससुर व ननदों ने नहान घर के गेट के आगे बिजली के नंगे तार डाल दिये व करंट छोड़ दिया जिससे नहान घर में करंट आने से परिवादिया चिल्लाई और कहा करंट आ रहा है और गेट खोलकर देखा तो अभियुक्तगण वही खड़े थे। उक्त बाते अपने पति अभियुक्त संख्या 1 को बताई तो उसने कहा कि मर जाती तो अच्छा होता व कहा कि जब तक तेरा बाप हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं करेगा तब तक तेरे को यो ही परेशान करते रहेंगे। दिनांक 29.12. 2014 को परिवादिया के पिता अभियुक्तगण के घर भैसावता आए व उन्हें समझाते हुए कहा कि आप लोग मेरी बेटी को परेशान क्यों करते हो इसको मारने की कोशिश क्यों करते हो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कार्यवाही करेंगे इस पर अभियुक्तगण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में परेशान नहीं करने की बात की। वर्ष 2015 की रक्षा बंधन पर अभियुक्त संख्या 1 परिवादिया को अपने साथ सिंघाना तक लाया व सिंघाना में झगडा करके छोड़ गया व कहा कि तुम अपने पिता के घर जाओ और मारूती कार व दो लाख रूपये लेकर आ जाना वरना मेरे घर मत आना जिस पर वह सिंघाना से अकेली अपने पिता के घर आई व सारी बाते बताई। अभियुक्त संख्या 7 अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 को कहता कि इसे छोड़ दो या मार दो संदीप का दूसरा कर लेंगे। अभियुक्त संख्या 1 ने अपने नाखूनों से परिवादिया के गुप्तांगों व शरीर के अन्य भागों पर घाव कर दिये। दिनाक 18.05.2016 को अभियुक्तगण ने परिवादिया को बुरी तरह से मारपीट कर घर से निकाल दिया। दिनांक 21.05.2018 को परिवादिया का पति अभियुक्त संख्या 1 उसके पिहर आया व कहा कि

मेरी गलती हो गई मैं भविष्य में शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उसके बाद जुलाई 2018 के अंत में समस्त अभियुक्तगण व इसके साथ करीब 4–5 आदमी परिवादिया के पिहर खेतड़ीनगर आये और गाली गलौच की व धमकी दी कि दहेज की मांग पूरी नहीं की तो रिश्ता खत्म समझो इत्यादि।

02. उक्त परिवाद पत्र धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित पुलिस थाना को वास्ते कायमी प्रकरण, अन्वेषण व पेश करने नतीजा हेतु प्रेषित किया गया। जहां पर अभियुक्त के विरूद्ध एफ आई आर नंबर 67 / 2019 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त संदीप कुमार के विरूद्ध धारा–498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.07.2019 को पेश किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियुक्त को दिनांक 27.09.2019 को धारा–498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिए गए, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोश व झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

06. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध

कारित किया जाना संदेह से परे साबित हुआ है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. दौराने बहस अधिवक्ता परिवादिया का तर्क है कि परिवादिया ने अपने परिवाद की पूर्ण ताईद की है। जिरह में कोई मेजर कंट्रड्डक्शन नहीं है। सभी गवाह ने अभियोजन पक्ष की कहानी की ताईद की है। आईओ के द्वारा भी केवल अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित माना है। संदेह से परे प्रकरण पूर्ण रूप से साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

08. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि स्त्रीधन का कोई विशिष्ट विवरण अंकित नहीं है। मारपीट और झगड़ें की कोई साक्ष्य नहीं है। परिवादिया द्वारा अपना स्त्रीधन स्वयं ससुराल में छोड़कर आना कथित किया है। स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए गए हैं। मेडकिल साक्ष्य नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने में तीन वर्ष का डिले है। प्रकरण मैनिपुलेटेड है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए जो निम्नलिखित है–

1. नीलू चोपड़ा और अन्य बनाम भारती आपराधिक अपील संख्या 947 वर्ष 2003 निर्णय की तिथि 07.10.2009

2. Smt Bhagwati Devi vs State of Uttarakhand Criminal Appeal no 2616 of 2014 Decided on 29-08-2025

3- Priya Vrat singh And Others Vs Shyam Ji Shah Criminal Appeal no 1230 of 2008 decided on 05-08-2008

4- Manju Ram Kalita Vs State of Assam Criminal Appeal no 299 of 2003 criminal Revision No 578 of 2000 Decided on 29-05-2009

5- Xxxx and another vs State of Punjab and Another decided on 27-01-2026

6- Aparajita Chakroborty vs State of West And Another Criminal Appeal no 63 of 2020 decided on 22-12-2021

09. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि :–

(1) आया अभियुक्त ने परिवादिया नीलम जांगिड को उसके विवाह दिनांक 07.05.2014 के पश्चात से विभिन्न समय पर दहेज स्वरूप कार व 2,00,000 रूपये नकद की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर परिवादिया के साथ क्रूरता कारित की तथा परिवादिया का स्त्रीधन लौटाने से इंकार कर दिया, यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो?

(2) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

10. उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओ के बाबत अभियोजन पक्ष द्वारा 07 गवाह को परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में गवाह पी0डब्ल्यू 01 नीलम जांगिड जो कि परिवादिया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरी शादी दिनांक 07.05.14 को संदीप के साथ जाट धर्मशाला खेतड़ी नगर में हिंदू शतिरिवाज से हुई थी। शादी में मेरे पिता ने अपनी हैसियत स्त्रीधन दिया था। शादी के बाद विदा होकर जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कम दहेज को लेकर

उलाहना दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घरवालों ने कचोले में दो लाख रूपये व गाडी नहीं दी। मेरे पति ने कहा कि में प्रोफेसर हूं। तुम्हारे घरवालों ने हमारी इज्जत खराब करवा दी। मैंने इन्हें समझाया कि मेरे पिता दो लाख रूपये व गाडी देने में असमर्थ हैं लेकिन ये लोग नहीं माने। मैंने यह समस्त बातें मेरे माता–पिता को फरमोडे आई तब बता दी थी, इस पर मेरे माता–पिता ने मेरे ससुराल वालों को समझाने की बात कही और कहा कि सब धीरे–धीरे सही हो जायेगा। फेरमोडे से दोबारा अपने ससुराल गई तो दो–चार दिन बाद मेरे ससुराल वालों ने फिर से मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे मर पति संदीप, ननदें कंचन, प्रियंका, पिंकी, परिवार में मेरे देवर विजेंद्र, मेरी सास संपत्ति देवी, ससुर भीखाराम दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे। दिनांक 28.12.14 को मेरे आस–ससुर व ननदा ने मुझे करंट से मारने की कोशिश की। मैंने यह बात मेरे पिता को बताई, मेरे पिता मेरे ससुराल 29 तारीख को आये और समझाने का शिकायत करेंगे तब मेरे ससुराल वालों ने इस बात की माफी मांगी और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं प्रयास किया। मेरे पिता ने कहा कि इस बात की पुलिस में होगा। थोडे दिनों बाद वापस मेरे साथ मारपीट करने लगे। सन 2015 में रक्षाबंधन पर मेरा पति संदीपू मुझे सिंघाना में झगड़ा करके चला गया, उसने मेरे से दो लाख रूपये व कार की मांग की। मेरा पति गदी फिल्में देखते हैं और मुझे कहते हैं कि इस प्रकार से करो। मेरे ऐसा करने से मना करने पर मेरे पति ने मेरे गुप्तांगों पर घाव कर दिये। मेरा पति शराब भी पीता है। दिनांक 18.05.16 को मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपने पिता को बुलाया तो उनके साथ भी इन लोगों ने झगडा किया। रात को मेरे पिता मुझे लेकर के घर आ गये। मेरे पिता ने समझौता करने की कोशिश की, पंचायत करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। मेरा स्त्रीधन मुझ पुलिस के जरिये मिल गया लेकिन पूरा

सामान नहीं मिला और मेरे स्त्रीधन वापस मांगने पर भी मुझ नहीं लौटाया। मैंने न्यायालय में इश्तगासा प्रदर्श पी01 दिया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। अपना मेडिकल नहीं कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी02 दिया था, फर्द जप्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन प्रदर्श पी03 है, मैंने पुलिस को जो स्त्रीधन मुझे नहीं मिला उसकी सूची प्रदर्श पी04 दी थी जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि **सगाई में मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग नहीं की ना ही विवाह के समय दहेज की मांग की।** सगाई व विवाह के बीच में मैं संदीप से बातें करती थी। मेरा स्त्रीधन मेरे ससुराल वालों ने मेरे पीहर में ही देख लिया हो यह मुझे नहीं पता। **यह कहना सही है कि मेरी विदाई राजीखुशी हुई थी। 15 दिन बाद मेरा पति मुझे पीहर में लेने के लिए आया था, इस दौरान कोई झगड़ा नहीं हुआ। यह कहना सही है कि मुझे मेरे पिता ने संदीप के साथ उस समय राजीखुशी भेज दिया था। मेरा व मेरे पति का मनमुटाव शादी के बाद से ही शुरू हो गया था।** यह कहना सही है कि उक्त दिनांक को मेरे पिता व ताउ के साथ झगड़ा नहीं हुआ। जहां पर झगड़ा हुआ वहां पर पुलिस चौकी है या नहीं मुझे नहीं पता। सिंघाना में मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की इसकी शिकायत मैंने कहीं पर नहीं की। **मैं जब–जब मेरे पीहर आई मुझे लेने के लिए संदीप ही मेरे पीहर आता था।** यह कहना सही है कि मुझे लेने के लिए संदीप के साथ संदीप का फूफा बीरबल भी आया था। संदीप जब–जब मुझे लेने के लिए आया तब–तब मैं उनके साथ गई थी। दिनांक 18.05.16 को मेरे साथ मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया इसकी शिकायत मैंने खेतडी नगर थाने पर की थी लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। हमारे रिश्तेदार मदन जी, जीवण जी, नथमल जी मेरे पीहर आये थे, ये लोग 29 तारीख 2014 को मेरे

ससुराल आये थे, ये लोग करीब पांच बार गये थे, तारीख मुझे आज याद नहीं। **यह कहना सही है कि दिनांक 18.05.16 के बाद मेरी व संदीप की बातें नहीं हुई ना ही हम मिले। यह कहना सही है कि दिनांक 18.05.16 से मैं अपने पीहर में अपने पिता के घर पर रह रही हूं। दहेज की मांग करने के दौरान, मारपीट करने के दौरान हो–हल्ला होता था, जिसे सुनकर आस–पडोस के लोग वहां पर आ जाते थे, मुझे उनके नाम नहीं ध्यान।** मेरे से पैसे व दहेज की मांग दिनांक 28.12.14 को भी की थी व मेरे शादी के बाद गई तब भी की थी, 2015 की रक्षाबंधन को, दिनांक 18.05.16 को। इनके अलावा दहेज मांगने की कोई तारीख नहीं है। यह कहना सही है कि मैं मेरा स्त्रीधन अपने ससुराल में ही छोडकर आई थी। **यह कहना सही है कि मैंने मेरे ससुराल में रहते हुये मेरे साथ जो भी मारपीट हुई उसकी मैंने कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।** मैंने ज्वैलरी का बिल पेश नहीं किया। मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग मेरे से व मेरे माता–पिता से की थी। **मेरी माता एक बार भी मेरे ससुराल नहीं गई।** अज खुद कहा कि मेरी माता से दहेज की मांग फोन पर की थी, मेरे पिता जब मेरे पीहर आये तब उनसे दहेज की मांग की थी। **यदि मेरा पति मुझे आज ले जाना चाहे तो भी मैं आज उसके साथ नहीं जाना चाहती।** फिर मेरे सास–ससुर ने मेरे साथ मारपीट की व मुझे चार दिनों तक भूखा–प्यासा रखा। **मेरा मेरे पति से कोई विवाद नहीं था। यदि मेरा पति समझौता करके आज मुझे ले जाना चाहे तो मैं नहीं जाना चाहती** क्योंकि मेरा पति मुझे चिडावा में छोडकर चला गया। मेरा पति मुझे रखना ही नहीं चाहता। मेरे पति पर इस मुकदमे के अलावा घरेलू हिंसा व भरण–पोषण का केस कर रखा है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 02 संतोष उर्फ संतरा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि मेरी बेटी नीलम की शादी

दिनांक 07.05.2014 में जाट धर्मशाला खेतड़ीनगर में हुई थी। विवाह में हमने जो स्त्रीधन शादी में दिया जाता है वो दिया था। विवाह के बाद विदा होकर मेरी बेटी नीलम अपने ससुराल गई। नीलम का ससुराल में स्वागत नहीं किया और ताने मारे की आने कम दहेज दिया है और उससे दो लाख रूपये व एक गाड़ी की मांग की थी। मेरी बेटी को संदीप कुमार ताने मारता और सास ससुर भी ताने मारते। नीलम जब फेर मोहड़े आई तब उसने बताया कि मुझे कम दहेज के लिए मेरे पति ने ताने मारे व दो लाख रूपये व गाड़ी की मांग की। मेरा जवाई दारू पीता है और मेरी बेटी को मारता है। नीलम के साथ अप्राकृतिक रूप से सहवास करने के लिए कहता। अब मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। नीलम को 15 दिन बाद में वापिस बुलाया। उसके बाद नीलम ने बताया कि रोज दारू पीकर आता है और मुझे पिटाई करता है और मेरे से मेरे सास ससुरवाले दहेज के लिए मांग करते है। फिर हमने नीलम के ससुर भीखराम को फोन किया और हमने कंहा कि मांडा जगाने आ जाओ लेकिन उन्होने फोन काट दिया। संदीप जी हमारे घर पर आये और हमने संदीप को कंहा कि तुम लोग दो लाख रूपये व गाड़ी के लिए क्यों ताने मारते हो तब उन्होने कंहा कि हमे तो दहेज चाहिए। 28 दिसम्बर 2014 में नीलम की सास, तीनो ननद व विजेन्द्र इन्होने नीलम के करन्ट लगाने की कोशिश की। नीलम ने अपने पति को फोन किया तो उसने बताया कि मेरे करन्ट लगाने की कोशिश की तब संदीप ने कंहा कि तुम मर जाती तो अच्छा होता बाद में हम समझाने गये तब दो लाख रूप्य व गाड़ी की मांग की। फिर हमने उनको समझाया लेकिन वो माने नहीं, फिर हमने कंहा कि हम पुलिस को शिकायत करेगे तब वो नरम पड़ गये। उसके बाद दो महीने बाद वो ही दारू पीकर आना और नीलम के साथ मारपीट करना होता था। सन् 2015 रक्षा बन्धन पर सिंघाना में संदीप ने लाकर छोड़ दिया। वो नीलम को चार महीने तक लेने नहीं आये और जब हमने फोन किया

तो उन्होने फोन भी नहीं उठाया। उसके बाद बजरंगजी को फोन किया और उनको ये सारी बाते बताई उसके बाद संदीप के फूफा बजरंगजी आये। संदीप को लेकर बिरबल जी आये थे। उसके बाद पांच दिन बाद में वो ही हरकते शुरू हो गई। सन् 2016 में नीलम को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। नीलम का पापा गये और नीलम का भाई भी साथ गये, उनके साथ संदीप के चाचा के लड़के विजेन्द्र ने मारपीट की उसके बाद नीलम को लेकर आ गये। तब से नीलम यहीं पर रह रही है।

दौराने जिरह अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि नीमल अंतिम बार हमारे घर पर 2016 में आई थी अज गवाह ने खुद कंहा कि उसको मारपीट कर के घर से निकाला था। यह सही है कि नीलम को मेरे पति माणिकचंद जी लेने गये थे। पुलिस में मेरे बयान हुए थे। पुलिस ने मेरे बयान किस तारीख को लिये थे ध्यान नहीं है। मैने अपनी मुख्य परीक्षा में जो अप्राकृतिक सहवास करने बाबत् व नीलम की तीनो ननद व विजेन्द्र द्वारा मारपीट करना लिखवाया था प्रदर्श डी 1 में क्यों नहीं लिखा मुझे नहीं पता है। **मैं आज तक बसावता नहीं गई। यह सही है कि मैने मुख्य परीक्षा में जो बाते बताई है वो सब घटना घटते हुए नहीं देखी बल्कि नीलम कें बतायेनुसार ही मैं बता रही हूं।** संदीप से कभी कभी मेरे बाते शुरू में हुई थी अज गवाह ने खुद कंहा कि मैने संदीप को फोन पर मारपीट क्यों करते हो इस बारे में कंहा था। संदीप की मां ने मेरे से कभी बात नहीं की। संदीप ने मेरे से सही कोई बात नहीं की और मैं संदीप को उलहाना ही देती थी।यदि आज संदीप मेरी बेटी को रखना चाहे तो हम नीलम को संदीप के साथ नहीं भेजना चाहेगे क्योंकि हमने भेजकर देख लिया है। हम समझाईश नहीं करना चाहते है। हम कॉपर थाने में 2016 में गये थे जब नीलम को घर से निकाला था। उसके बाद हमने कोई कार्यवाही नहीं क्योंकि संदीप और उसके पापा यह बोलते थे की हम नीमल को लेने

जायेगे फिर बीच में संदीप अकेला ही लेना आया था फिर हमने नीलम नहीं भेजा गवाह ने अज खुद कंहा कि फिर 30–40 आदमी आये थे। उसके बाद हमने नीलम को नहीं भेजा। मेरी अंतिम बार संदीप से कब बात हुई थी मुझे ध्यान में नहीं है। यह सही है कि सन् 2023 में नीलम को मेरे घर से संदीप ही लेकर गया था। **संदीप व नीलम का आपस में शादी के समय से ही मन मुटाव हो गया था।**

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 03 माणिक्य लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि मेरी पुत्री नीलम की शादी दिनांक 07.05. 2014 को जाट धर्मशाला खेतड़ीनगर में संदीप पुत्र भीखाराम निवासी भैसावता खुर्द के साथ हुई थी। मैंने मेरी बेटी को शादी में मेरी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था। अमूमन विवाह में जो स्त्रीधन दिया जाता है वह सब दिया था, जेवरात भी दिए थे। करीब 50,000 नकद दिए थे। मेरी बेटी विदा होकर के ससुराल गई और अगले दिन फैरमोड़े से वापस आई तो मुझे और मेरी पत्नी को बताया कि मेरे ससुराल वाले दो लाख रुपये और गाड़ी की मांग कर रहे हैं और रिश्तेदारों के सामने मुझे ताना दिया और गाली–गलौच की। 28.12.2014 को मेरी बेटी का फोन आया और उसने बताया कि ससुराल वालों ने मेरे करंट लगाने की कोशिश की। मैं मेरी बेटी के ससुराल गया और मैंने उनसे बात की उनसे समझाइश की। थोड़े दिन तो मेरी बेटी को ठीक रखा और थोड़े दिन बाद वापस दहेज की मांग करने लगे और मारपीट करने लगे। नीलम का ससुर और पति शराब पीकर नीलम के साथ मारपीट और गाली–गलौच और ननदें भी दहेज के लिए तंग परेशान करती थी। 2015 की रक्षाबंधन के दिन सिंघाना में संदीप नीलम को गाली–गलौच करके छोड़ गया कि हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक मेरे घर पर मत आना। चार महीने तक नहीं आना। चार महीने बाद अपने फूफा बीरवल को लेकर हमारे घर आया और नीलम को लेकर चले गए। दो–तीन महीने नीलम ससुराल गई

और दोबारा दहेज के लिए तंग–परेशान करने लग गए। 18.5.2016 से नीलम को मारपीट करके घर से निकाल दिया। उस दिन से नीलम पीहर रह रही है। फर्द जप्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। नीलम ने शेष दहेज के सामान के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 04 दिया था जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि मैंने अंतिम बार संदीप से 21.05.2018 को बात की थी। ये बात की थी कि नीलम को समझौता करके ले जाओ। **ये सही है कि मैं संदीप से राजीखुशी की बात करता हूं।** ये सही है कि मैंने मेरी पुत्री नीलम की शादी में जो सामान देना बताया है उसका कोई बिल या दस्तावेज मैंने पेश नहीं किया है। **ये सही है कि मेरा संदीप से कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये सही है कि मैंने मेरी मुख्य परीक्षा में जो बाते बताई है वो मैंने घटते हुए नहीं देखी मैं नीलम के बताये अनुसार बता रहा हूं।** मैं केवल भैसावता **नीलम को** समझाने के लिए **चार–पांच बार** गया था। यह सही है कि मेरी पुत्री ने कहीं भी कोई मेडिकल चैकअप करवाया और ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया। मैंने मेरे भाइयों मदन जांगिड, नथमल पंडित, शीशराम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। ये सही है कि मैंने जो सामान दहेज में दिया था वो मेरी मर्जी से दिया था।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 04 विद्याधर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि संदीप मेरा भतीजा लगता है। संदीप की शादी 07.05.2014 को नीलम के साथ हुई थी। शादी के बाद में उन दोनों के बीच दहेज को लेकर मन–मुटाव हुआ था मुझे नहीं पता और ना ही मेरे सामने दहेज की कोई मांग की थी और ना ही मैंने ऐसा सुना था।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी में गवाह द्वारा कथन किए गए हैं कि यह कहना गलत है कि संदीप मेरा भतीजा होने के कारण मैं झूठा बयान दे रहा हूं। पुलिस बयान प्रदर्श पी05 का भाग ए से बी गवाह को पढकर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देना नहीं कहा। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 05 सजन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि संदीप मेरा भतीजा लगता है। मैं संदीप की शादी में गया था। संदीप की शादी 07.05.2014 को कॉपर में हुई थी। संदीप अपनी पत्नी को तंग–परेशान नहीं करता था। अजखुद कहा नीलम खुद संदीप के घरवालों को परेशान करती थी। गाली–गलौच करती थी और काम नहीं करती थी।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी में गवाह द्वारा कथन किए गए हैं कि यह कहना गलत है कि संदीप मेरा भतीजा होने के कारण मैं झूठा बयान दे रहा हूं। पुलिस बयान प्रदर्श पी06 का भाग ए से बी गवाह को पढकर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देना नहीं कहा। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 06 शीशराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि माणिक्यलाल मेरा पड़ोसी है। माणिक्यलाल की पुत्री नीलम का विवाह 2014 में जाट धर्मशाला में संदीप निवासी भैसावता के साथ हुई थी। मैं नीलम की शादी में गया था। माणिक्यलाल ने अपनी बेटी की शादी में स्त्रीधन दिया था। नीलम शादी के विदा होकर ससुराल चली गई। थोड़े दिन बाद माणिक्यला ने मुझे बताया कि मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करता है। मैंने एक बार नीलम से भी पूछा था तो उसने भी अपने पति द्वारा उसको दहेज के लिए तंग–परेशान करना दो लाख रूपये और गाड़ी की मांग करना बताया था।

माणिक्यलाल ने समझाईश की थी 2015 में मैं भी माणिक्यलाल के घर पर गया था। वहां पर नीलम का पति संदीप आया हुआ था। जीवनराम, नथमल भी मौजूद थे। इन लोगों ने संदीप को नीलम को तंग–परेशान नहीं करने की समझाईश की थी। उस समय संदीप ने गलती मान ली और आईंदा परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया और वह उस दिन संदीप के साथ ससुराल चली गई। थोड़े दिन बाद संदीप ने नीलम को दुबारा दहेज के लिए तंग–परेशान करना शुरू कर दिया। और घर से निकाल दिया। नीलम अपने पिता के घर पर रह रही है।

दौराने जिरह अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि मैंने मेरी मुख्य परीक्षा में जो बातें बताई हैं वो मेरी पत्नी के बताएअनुसार बताई है। **मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि नीलम को तंग परेशान करते हैं। मेरी पत्नी को किसने बताया वो मुझे नहीं पता है।** ये सही है कि माणिक्यलाल परिवादिया का पिता मेरा पड़ोसी है तथा पड़ोसी होने के नाते मैं आज बयान देने आया हूं। मेरे पुलिस में बयान हुए थे। थानेवाले सब हमारे पास ही बैठे रहते हैं उन्होंने मुझे बुला लिया था इसलिए मैंने बयान दिए थे। मेरे पुलिस बयाने में थानेवालों ने जो बाते लिख दी थी वो लिख दी थी मैंने उनको नहीं पढ़ा था उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 07 किरण सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि दिनांक 24.04.2019 को मै पुलिस थाना खेतडीनगर में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी से जरिए डाक असल इश्तगासा प्रदर्श पी 01 थाना हाजा पर प्राप्त हुआ। जिसकी पुश्त पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित की गई। ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। इश्तगासा के आधार पर प्रदर्श पी 07 चाक की गई। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया। मैंने गवाह

निलम जांगिड, मानिकलाल, संतोष देवी उर्फ संतरा देवी, शिशराम, जीवरणराम, नथमल, विद्याधर, सज्जन कुमार के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। परिवादी निलम जांगिड ने अपना मेडिकल नही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 02 दिया था जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर, ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित की गई। परिवादिया निलम जांगिड ने मेरे समक्ष जो स्त्रीधन उसे प्राप्त नहीं हुआ उसके संबंध में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 04 पेश किया था जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है जी से एच कार्यवाही अंकित की गई। फर्द जब्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिम संदीप कुमार के विरुद्ध 498ए, 406 भादस में प्रमाणित माना एवं आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

दौराने जिरह अभियुक्त में गवाह ने कथन किया है कि परिवादिया ने जरिये इस्तगासा एफआईआर दिनांक 24.04.2019 को दर्ज करवाई थी। यह कहना सही है कि परिवादिया दिनांक 18.05.2016 से अपने पति से अलग पीहर मे रह रही थी। **मेरी जांच में ऐसा नहीं आया कि परिवादिया ने इस एफआईआर से पूर्व कोई शिकायत दर्ज करवाई हो। यह कहना सही है कि मैंने परिवादिया को कोई चोट प्रतिवेदन तैयार नहीं करवाया था** क्योंकि परिवादिया ने स्वयं ने ही चोटों का मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया था। अजखुद कहा कि आरोपी संदीप दहेज की मांग कर रहा था और मांग पूरी नहीं होने से उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। **यह कहना सही है कि मैंने परिवादिया के कोई जाहिराना चोट नहीं देखी थी।** यह कहना गलत है कि भैसावता नहीं गया हो। यह कहना सही है कि परिवादिया ने अपने पति संदीप, भीकाराम, श्रीमती कंचन, पिंकी, प्रियंका, विजेन्द्र के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था। **यह कहना सही है कि मैंने केवल परिवादिया के पति को ही आरोपी माना है अन्य**

को आरोपी नहीं माना है। यह कहना सही है कि मैंने मेरी अनुसंधान में संदीप कुमार के अलावा अन्य नामजद आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित नहीं माना है। **परिवादिया द्वारा अपने पति के अलावा नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध झूठा नाम दर्ज करवाया था।** प्रदर्श 4 के बाबत मैंने कोई बिल नही ंलिया और ना ही मैंने कोई सुनार के बयान लिये थे। मैंने परिवादिया से उक्त सामान के बिल पेश करने के लिए कहा था लेकिन परिवादिया द्वारा पेश नहीं किये गये थे।

11. इस प्रकार से अभियोजन पक्ष की आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह पीडब्ल्यू 01 नीलम जांगिड़ है जो परिवादिया है, जिसने यह तथ्य स्वीकार किया है कि शादी एवं सगाई के बीच एक वर्ष का अंतर था। सगाई व शादी में दहेज की कोई मांग नहीं करना कथन किया है तथा अभियुक्त द्वारा स्त्रीधन पीहर में ही देखना कथन किया है तथा शादी के पंद्रह दिन तक किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होना एवं दहेज के लिए कोई मांग नहीं करना कथन किया है। इस प्रकार से परिवादिया से उसकी शादी के समय या उसके तुरंत पश्चात दहेज की कोई मांग की हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है।

परिवादिया द्वारा वर्ष 2015 में रक्षाबंधन के दिन झगड़ा होना कथन किया है। किंतु इसकी कोई एफआईआर दर्ज कराई हो ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं है। यह तथ्य स्वीकार किया है कि हर बार अभियुक्त संदीप द्वारा ही उसका ससुराल ले जाना कथन किया है तथा परिवादिया द्वारा यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि उसका स्त्रीधन वह अपने ससुराल में स्वयं छोड़कर आई थी। अभियुक्त ने परिवादिया का स्त्रीधन लौटाने से इंकार किया हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। दौराने जिरह परिवादिया द्वारा यह भी कथन किया है कि उसका उसके पति के साथ कोई विवाद नहीं था।

इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 02 संतोष उर्फ संतरा देवी जो कि परिवादिया की माता है, ने दहेज की मांग परिवादिया के कहे अनुसार बताना कथन किया है तथा यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि अपनी साक्ष्य में परिवादिया बताए अनुसार बता रही है तथा स्वयं द्वारा परिवादिया के ससुराल नहीं जाना कथन किया है। अतः यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कोई घटना नहीं देखी गई है। अभियुक्त से भी दहेज बाबत उपरोक्त गवाह द्वारा बातचीत की हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है तथा संदीप व नीलम का आपस में शादी के समय मनमुटाव होने का तथ्य स्वीकार किया है।

इसी प्रकार पीडब्ल्यू 03 माणिक्यलाल जो कि परिवादिया का पिता है द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है कि उसका संदीप के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है तथा अपनी मुख्य परीक्षा के कथन परिवादिया के बताए अनुसार कहना कथन किया है तथा स्वयं की आंखों से कोई घटना घटित होते हुए नहीं देखना कथन किया है तथा उक्त गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि वह परिवादिया के ससुराल चार–पांच बार परिवादिया को समझाने के लिए गया था। परिवादिया की मारपीट की कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त अन्य गवाह पीडब्ल्यू 06 शीशराम जो कि पंचायती का गवाह है, ने यह कथन किया है कि उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के कथन अपनी पत्नी के बतायेनुसार कहना कथन किया है तथा अपनी पत्नी के बतायेनुसार ही नीलम को तंग–परेशान करना कथन किया है। इस प्रकार से उपरोक्त गवाह प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, उसने अपनी पत्नी के कथनों के आधार पर साक्ष्य देना कथन किया है।

यद्यपि उपरोक्त गवाह को पंचायत में ले जाने बाबत परिवादिया के पिता पीडब्ल्यू 03 माणिक्यलाल द्वारा कथन किया है, किंतु ऐसी कोई साक्ष्य

उपरोक्त गवाह द्वारा नहीं दी गई है। उपरोक्त गवाह की पत्नी को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है।इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 04 विद्याधर, पीडब्ल्यू 05 सजन कुमार जो कि स्वतंत्र साक्षी है, अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उक्त गवाहों ने किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं करना कथन किया है।

इस प्रकार से हस्तगत प्रकरण में एकमात्र मुख्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह परिवादिया है जिसके कथनों में भी विरोधाभास है। परिवादिया को स्त्रीधन लौटाने से इंकार किया हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। परिवादिया से मारपीट के बाबत कोई मेडिकल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग कब–कब की गई, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। परिवादिया के माता–पिता का परिवादिया के बतायेनुसार ही बयान देना कथन किया है। परिवादिया के माता–पिता से कोई दहेज की मांग की हो ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि परिवादिया की माता का परिवादिया के ससुराल कभी नहीं जाना कथन किया है। परिवादिया के पिता द्वारा आपस में मनमुटाव होना कथन किया है।

इसके अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र साक्षी पीडब्ल्यू 06 शीशराम ने अपनी पत्नी के कहेअनुसार बयान देना कथन किया है। परिवादिया स्वयं द्वारा शादी के समय या शादी के तुरंत बाद या सगाई के समय किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं करने का तथ्य स्वीकार किया है। जबकि इस संबंध में माननीय उच्चततम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत नीलू चौपड़ा बनाम भारती निर्णय दिनांक 07.10.2009 (2009)AIR(SCW)6683 में यह उल्लेखित किया गया है कि दहेज की वस्तुओं के संबंध में वस्तुओं को जाने की तिथि, विवरण एवं मात्रा एवं वापसी की मांग एवं वापसी से इनकार के बारे में विशिष्ट विवरण होना चाहिए किंतु ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं की गई है।

इसी प्रकार भागवती देवी बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड निर्णय दिनांक 29.08.2025 (2025)AIR(SC)4002 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय के आलोक में स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र परिवादिया एवं उसके परिजनों को ही परीक्षित करवाया, आस–पडोस के किसी व्यक्ति को परीक्षित नहीं करवाया। कोई मेडिकल दस्तावेज नहीं है। क्रूरता के परिणामस्वरूप परिवादिया के जीवन को गंभीर क्षति अथवा उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है।

इसी प्रकार Manju Ram Kalita Vs State of Asam decided on 29-05-2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए न्यायिक दृष्टांत के आलोक में स्पष्ट है कि Cruelty - Leaving matrimonial home - Cruelty is to be to determined/inferred by considering the conduct of the man, weighing the gravity or seriousness of his acts and to find out as to whether it is likely to drive the woman to commit suicide etc. - It is to be established that the woman has been subjected to cruelty continuously/persistently or at least in close proximity of time of lodging the complaint - Petty quarrels cannot be termed as 'cruelty' to attract the provisions of Section 498-A IPC- Causing mental torture to the extent that it becomes unbearable may be termed as cruelty - Where the complainant had left the matrimonial home and started living with her father in 1993, a case cannot be registered against the appellant under Section 498-A-Conviction set aside - Appeal allowed.

इसी प्रकार **Xxxx and another vs State of Punjab and Another, decided on 27-01-2026** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए न्यायिक दृष्टांत के आलोक में स्पष्ट है कि **Cruelty - 'cruelty alone is not enough to constitute the offence - It must be done with the intention to cause grave injury or drive the victim to commit suicide or inflict grave injury to herself.**

इस प्रकार से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि परिवादिया से दहेज की मांग कब की गई और क्या–क्या की गई ऐसा कोई विशिष्ट कथन परिवादिया द्वारा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादिया को स्त्रीधन कब सौपा गया एवं कहां सौपा था, वापसी की मांग कब की गई और लौटाने से इंकार कब किया गया, इस बाबत कोई विशिष्ट विवरण अंकित नहीं है। यहां तक कि परिवादिया द्वारा स्वयं अपना स्त्रीधन ससुराल में छोड़कर आना कथन किया है। अभियुक्त का ऐसा कोई कृत्य साबित नहीं है कि क्रूरता के परिणामस्वरूप परिवादिया को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने अथवा उसको गंभीर क्षति या खतरा कारित होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 07 किरण सिंह द्वारा भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि पूर्व में परिवादिया द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तथा स्वयं की जाचं में परिवादिया के स्वास्थ्य एवं जान का खतरा हो ऐसा नहीं पाया। परिवादिया के जाहिरा कोई चोट नहीं होने का कथन किया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण का अनुसंधान करना, गवाह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करना, परिवादिया द्वारा मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली करना, परिवादिया का स्त्रीधन जब्त कर परिवादिया को लौटा देना इत्यादि कथन किए है, जो कि उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा में भी

अखंडित रहे हैं। किंतु उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादिया से मारपीट के बाबत कोई मेडिकल दस्तावेज नहीं होना एवं अभियुक्त के अलावा अन्य किसी नामजद आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं मानना कथन किया है। परिवादिया को स्त्रीधन सुपुर्द करने बाबत भी कथन किया है।

12. लिहाजा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया से दहेज की मांग की गई हो एवं दहेज की मांग की प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की तथा उसका स्त्रीधन लौटाने से इंकार किया। अतः धारा 406, 498ए भारतीय दंड संहिता का अपराध अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है लिहाजा अभियुक्त को धारा 406, 498ए भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

::–आदेश–::

13. एतद्द्वारा अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र भीखाराम उम्र 32 साल निवासी भैसावता खुर्द थाना सिंघाना जिला झुंझुनू राज. को धारा–406, 498ए भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। जब्तशुदा स्त्रीधन जो कि परिवादिया के पास है, परिवादिया के पास ही रहे।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं

14. निर्णय आज दिनांक **30 मार्च, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी जिला झुंझुनूं